संख्या-03/2022/2021497/12-5002(002)/2/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक 25 फरवरी, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष अनुदान संख्या-11 में राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा लखनऊ को व्यय वहन करने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी०ए०/702/वित्तीय स्वीकृति 2021-22, दिनांक 11 जनवरी, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिये अनुदान संख्या-11 में रहमानखेड़ा, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ के व्यय को वहन करने हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 117.70 लाख के सापेक्ष तृतीय त्रैमास हेतु धनराशि रू.29.42 लाख मात्र को निम्नानुसार योजनावार/मदवार आपके निर्वतन पर रखकर अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधान	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि (दिनांक 10-01-2022 तक)	तृतीय त्रैमास के लिए स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म				
109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण				
04-रहमान खेडा राज्य कृषि प्रबंध संस्थान				
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	117.70	58.84	54.13	29.42
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	685.82	685.82	321.84	0.00
योग	803.52	744.66	375.97	29.42

(रू.उन्तीस लाख बयालिस हजार मात्र)

2- वर्तमान में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के आलोक में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत धनराशि के कोषागार से आहरण के पूर्व आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

7- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह आपका उत्तरदायित्व होगा।

8- वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

9- प्रशा0 विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

10- प्रशा0 विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

11- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

13- उक्त स्वीक़ृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 04-रहमानखेड़ा, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन), 31-सहायता अनुदान -सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

14- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, दिनांक 07-04-2020, दिनांक 11-04-2020 एवं 18-05-2020 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश उक्त शासनादेश में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
7- निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ ।
9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग1/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अमर चन्द्र)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।